विषय : सरकारी कार्य का शीघ्रतापूर्वक निपटान ।

क्या सभी प्रशासकीय सचिव कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देंगे।

2. सरकारी कार्य को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि स्थाई आदेशों के अनुसार जो केस प्रशासकीय सचिव/कार्यभारी मन्त्री को प्रस्तुत किये जाने होते हैं उनमें से साधारण प्रकार के मामले, जिनमें किसी प्रकार की नीति अथवा पेचीदगी निहित न हो, सम्बन्धित अवर सचिव (जहां भी लगे हों) द्वारा सीधे संयुक्त सचिव (जहां लगे हों), अथवा विभागीय सचिब (जहां संयुक्त सचिव नहीं लगे हों), को प्रस्तुत किये जाया करें तथा उन्हें उप सचिव के माध्यम से न भेजा जाये । इस प्रकार कुछ केस ऐसे भी हो सकते है जिन्हें संयुक्त सचिव (जहां लगें हों), अथवा उप सचिव (जहां संयुक्त सचिव नहीं लगे हों) सीधे ही विभागीय मन्त्री को प्रस्तुत कर दे। इस कार्य विधि को अपनाने के लिए प्रशासकीय सचिव कृपवा विभाग में निपटाये जाने वाले केसों की सूची का अध्ययन कर यह तय करें कि उन में से कौन कौन से मामले अवर सचिव द्वारा संयुक्त सचिव/प्रशासकीय सचिव को सीधे प्रस्तुत किये जाएंगे तथा कौन कौन से मामले संयुक्त सचिव/उप सचिन द्वारा सीधे विभागीय मन्त्री को प्रस्तुत किये जाएंगे । इस सम्बन्ध में कृपया शीघ्र कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित किया जाये ।

हस्ता0/---

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

प्रशा–क्रमांक 1469–6 ए0 आर0––75 दिनांक 10–7–75